

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं ने कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम -50 (1) के प्रावधानान्तर्गत 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ तथा 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम संख्या-06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृति की जाती है।

क्र.स.	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक
01	02	03	04	05	06
1.	सुनिता माथुर	31.10.1966	धांधिया, लूणी, जोधपुर	08.04.1992	24.02.2022

- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिकों से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिकों की होगी, का सम्बन्धित से स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाही करें।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-
 - (1)राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
 - (2)राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
 - (3)कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

सत्यमेव जयते

(कान्ता राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्वै.से.नि./31901/2019/252 दिनांक:- 21/01/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
- उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
- अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर।
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर